

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1687/2009/जयपुर

मैसर्स नोवारटिस इण्डिया लि.,
22 गोदाम, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता,
बांसवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :27.04.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स-द्वितीय), जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2009 के विरुद्ध पेश की गयी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिवीजन संख्या 555/03 स.वा.क.अ, उड़नदस्ता, श्रीगंगानगर बनाम मै0 देव ट्रेडिंग कं0 के निर्णय दिनांक 05.09.07 द्वारा उक्त अपील प्रकरण अपीलीय अधिकारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा.क.अ., 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया है। अतः उक्त निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा मै0 गुलजग इण्ड. के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत प्रस्तुत अपील में लागू होना अवधारित कर, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गयी। जिसे इस अपील में विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 14.07.2000 को वाहन संख्या एच.आर.55/4084 को उदयपुर-अहमदाबाद पर जांच हेतु रोका गया। परिवहनीत माल "दवाईयों" के संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा माल संबंधी दस्तावेज वास्ते जांच हेत प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर यह पाया कि वाहन में लदे माल "दवाईयां" मुम्बई से जयपुर के लिये "स्टॉक ट्रांसफर" पर परिवहनीत किया जा रहा है किन्तु माल अधिसूचित वस्तु की श्रेणी के होने के बावजूद वक्त जांच माल संबंधी दस्तावेजों से जांच

नियम 53 के तहत आवश्यक था, जिसके कारण प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि लिपिक की गलती के कारण राजस्थान राज्य के घोषणा प्ररूप एस.टी. 18 ए के स्थान पर उड़ीसा राज्य का प्रपत्र एस.टी. 32 हो गया था तथा जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप क्रमांक 36657 प्रस्तुत किया गया। जसे प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित कर, आदेश दिनांक 17.07.2000 पारित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध तत्कालीन अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये आदेश दिनांक 08.06.2001 के स्वीकार कर ली गयी। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 08.06.2001 के विरुद्ध राजस्व द्वारा कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 24.08.2002 को राजस्व की अपील अस्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर आदेश पारित किया गया। जिसके विरुद्ध राजस्व द्वारा 'रिवीजन' प्रस्तुत करने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण अपीलीय अधिकारी को मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में अपीलीय अधिकारी को पुनः निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण की सुनवायी कर, सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को पुनर्स्थापित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकर कर दी गयी। जिसे इस अपील में चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर तर्क दिया कि जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था कि लिपिक की गलती के कारण राजस्थान राज्य के घोषणा प्ररूप एस.टी. 18 ए के स्थान पर उड़ीसा राज्य का प्रपत्र एस.टी. 32 हो गया था तथा जवाब के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप क्रमांक 36657 प्रस्तुत किया गया। परन्तु उक्त को सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। गुणावगुण पर पुनः अग्रिम कथन किया कि जांच के समय 'हालांकि' घोषणा प्ररूप प्रस्तुत नहीं किया था, जो लिपिक की भूल के कारण था। तत्पश्चात्, प्रथम उपलब्ध अवसर पर पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप जवाब के साथ पेश कर दिया था परन्तु प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्ररूप को अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित की गयी है, जो पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। अग्रिम अभिवाकृतिया मि आर्मी ————— दे र्टि ॥

वाणिज्यिक कर अधिकारी 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकरण पर पर लागू नहीं होते क्योंकि मैसर्स गुलजग इण्डो का निर्णय खाली/अपूर्ण घोषणा प्ररूप 18 ए से संबंधित है, जबकि अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष जांच के समय घोषणा प्ररूप प्रस्तुत नहीं किया था, जो “भूलवश” था। तत्पश्चात्, प्रथम उपलब्ध अवसर पर पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप जवाब के साथ पेश कर दिया था परन्तु प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त घोषणा प्ररूप 18 ए को अस्वीकार कर, शास्ति आरोपित की गयी है। जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा भी की गयी है, जो पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 124 एस.टी. सी. 611 मै0 डी.पी.मेटल्स को प्रोद्धरित कर, दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन किया।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि वक्त जांच दिनांक 14.07.2000 माल संबंधी दस्तावेजों में घोषणा प्ररूप एस.टी. 18 ए प्रस्तुत नहीं किया गया था, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस जो कि दिनांक 21.07.2000 के लिये जारी किया गया था की पालना में दिनांक 17.07.2000 को अपीलार्थी की ओर से श्री राजन पाटनकर, वितरण प्रबंधक द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी कि लिपिक की त्रुटि के कारण राजस्थान राज्य के घोषणा प्ररूप के स्थान पर उड़ीसा राज्य का घोषणा प्ररूप प्रस्तुत किया गया था। यहीं नहीं जारी नोटिस की पालना में पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा प्ररूप एस.टी.18 ए क्रमांक 36657/22 व 23 प्रस्तुत भी कर दिया गया। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त को बाद की सोच होना अवधारित कर, प्रस्तुत घोषणा प्ररूप को अस्वीकार कर, तदनुसार शास्ति आदेश पारित किया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या शास्ति आरोपित करना उचित है? समान बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स किशनगढ़ बनाम् स.वा.क.अ. उड़नदस्ता 2013 36 टैक्स अपडेट 37 में माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है “The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 05.03.2009 e.e., 06.03.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 06.03.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 05.03.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified.

.....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty cannot be sustained. In the case of ACTO Vs M/s Tata Iron and Steel Company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under. “ समान सिद्धांत माननीय न्यायालय द्वारा मैसर्से सेरा टेक इण्डिया बनाम् सहायक आयुक्त, भिवाड़ी (2013) 35 टैक्स अपडेट 49 में प्रतिपादित किया गया है। जहां तक हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का प्रश्न है, उक्त में भी यह वक्त जांच स्पष्ट कर दिया गया था कि लिपिक की त्रुटि के कारण एस.टी. 18 ए के स्थान पर उड़ीसा राज्य का घोषणा प्ररूप संलग्न कर दिया गया था, जो कि “भूलवश” था। उक्त घोषणा प्ररूप रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 11 व 32 पर मौजूद है, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यामुक स्थिति को नजरअंदाज कर, शास्ति आरोपित की गयी, जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। फलस्वरूप, यह अवधारित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष घोषणा प्ररूप प्रस्तुत नहीं किया जाना “भूलवश” था, जिसे प्रथम उपलब्ध अवसर पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त की जाती है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय प्रसारित किया गया।


23.4.2015
(मदन लाल)

सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य